

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 अप्रैल 2013—चैत्र 25, शक 1935

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य.—छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, 15 अप्रैल, 2013 के रूप में वह तिथि नियत करती है जिससे उक्त अधिनियम की धारा 15 एवं धारा 16 के प्रावधान प्रवृत्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 अप्रैल, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 15th April 2013

NOTIFICATION

No. F 10-64/2009/food/29.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Food Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), the State Government, hereby, appoints 15th April, 2013 as the date on which the provisions of Sections 15 and 16 of the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.